

GOVERNMENT OF INDIA (Bharat Sarkar)
MINISTRY OF RAILWAYS (Rail Mantralaya)
RAILWAY BOARD

No. TCII/2003/2015/Refund Policy/1

New Delhi, dated 06.11.2015

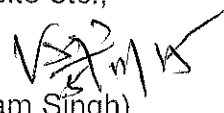
The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Gazette notification on amendments in the certain provisions of Refund Rules-Comprehensive Refund Rule.

REF: Commercial Circular no. 64 of 2015 dated 05.11.2015

In continuation of above mentioned letter cancellation of tickets and refund of fare Rule-2015 have been notified through e-gazette G.S.R.836(E) and is available on the website of Ministry of Urban Development under the head e-gazette and copy of the same has also been uploaded under the head Commercial Circular on Indian Railways website www.indianrailways.gov.in. A copy of brief on important changes made in the Refund Rule has also been uploaded along with the gazette notification.

Wide publicity should be given through different media at regular intervals and the changes in refund rule should also be updated on the different locations on the website of zonal Railways, Indian Railways, CRIS website or IRCTC website etc.,


(Vikram Singh)

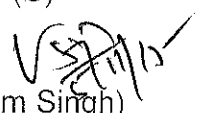
Director (Passenger Marketing)
Railway Board.

No. TCII/2003/2015/Refund Policy/1

New Delhi, dated 06.11.2015

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. CRB, MT, FC, PS/MR, PS/MOS(R) for information please.
2. CCMs, All Indian Railways.
3. CCM (PM)s, All Indian Railways.
4. CCO, All Indian Railways.
5. The Managing Director CRIS, New Delhi for necessary changes in the software.
6. IRCA Chelmsford Road, New Delhi, for making necessary correction slip in Rule No. 213 of IRCA Coaching Tariff No. 26 part I (Vol-I).
7. MD/IRCTC, New Delhi.
8. ADG/PR for wide publicity.
9. Managing Director, Konkan Railway Corporation, Belapur Bhawan, Plot No. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614.
10. ED(FC), ED(C&IS), EDV(T), ED(Chg.), DDTC(G)-II, DDTC(G), JDF(C)


(Vikram Singh)

Director (Passenger Marketing)
Railway Board.

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 4, 2015/कार्तिक 13, 1937

No. 684]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 4, 2015/KARTIKA 13, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 836(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 60 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल यात्री (टिकट रद्दकरण और किराए का प्रतिदाय) नियम, 2015 है।

(2) ये 12 नवंबर, 2015 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “एआरपी” से ऐसी अग्रिम आरक्षण अवधि अभिप्रेत है जिस तक कोई आरक्षित टिकट किसी आगामी यात्रा तारीख के लिए बुक की जा सकती है ;

(ख) “प्राधिकृत अभिकर्ता” से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे आरक्षित या अनारक्षित टिकटों को जारी करने और आरक्षित टिकटों को रद्द करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किया गया है ;

(ग) “लिपिकीय प्रभार” से ऐसा प्रभार अभिप्रेत है, जो रेल प्रशासन द्वारा किराए के प्रतिदाय में उसके द्वारा किए गए लिपिकीय कार्य के लिए उद्गृहीत किया गया हो ;

- (घ) "पुष्टिकृत टिकट" से कोई ऐसा टिकट अभिप्रेत है जिस पर कोई बर्थ या सीट की पुष्टि की गई है ;
- (ङ) "गंतव्य स्टेशन" से ऐसा स्टेशन अभिप्रेत है जिसके लिए टिकट जारी किया गया है ;
- (च) "किराया" में मूल किराया, सुपरफास्ट रेलगाड़ियों पर अनुपूरक प्रभार, आरक्षण फीस और अन्य लागू प्रकीर्ण प्रभार सम्मिलित है ;
- (छ) "आर ए सी टिकट" से ऐसा रद्दकरण टिकट अभिप्रेत है जिस पर ऐसा आरक्षण टिकट किसी बर्थ के लिए मांग के संबंध में सीट आरक्षित की गई है और तत्पश्चात् रद्दकरण, यदि कोई हो, के संबंध में बर्थ दी जा सकती है ;
- (ज) "रेल टिकट केन्द्र" से ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां आरक्षित या अनारक्षित टिकटें रेल कर्मचारी द्वारा या प्राधिकृत अधिकर्ता के माध्यम से जारी किए जाते हैं ;
- (झ) "आरक्षण फीस" से ऐसा प्रभार अभिप्रेत है, जो किराए के अतिरिक्त रेल प्रशासन द्वारा किसी बर्थ या सीट के आरक्षण के लिए उद्गृहीत किया जाता है ;
- (ञ) "आरक्षित टिकट" से ऐसा यात्रा टिकट अभिप्रेत है जिस पर किसी बर्थ या सीट का आरक्षण किया गया है ;
- (ट) "स्टेशन" से कोई रेल स्टेशन अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत उसी शहर में अन्य आरक्षण कार्यालय या रेल टिकट केन्द्र भी हैं ;
- (ठ) "स्टेशन मास्टर" से ऐसा कोई रेल कर्मचारी, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसके पास किसी रेल स्टेशन का समग्र भारसाधन हो और जिसके अंतर्गत किसी स्टेशन पर किराए का प्रतिदाय मंजूर करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य रेल कर्मचारी भी है, अभिप्रेत है ;
- (ड) "टिकट" से कोई एकल टिकट या कोई आधा टिकट या वापसी टिकट अभिप्रेत है किंतु जिसके अंतर्गत सीजन टिकट, इंडरेल पास टिकट या किसी आरक्षित सवारी डिब्बे या किसी पर्यटन कार या सैलून या किसी विशेष गाड़ी टिकट नहीं हैं ;
- (ढ) "टी डी आर" से उस स्टेशन पर जहां यात्री द्वारा टिकट वापस कर दिया गया है, वापस की गई टिकट के बदले में यात्री को जारी की गई टिकट जमा रसीद या इंटरनेट के माध्यम से बुक की गई टिकट की दशा में आनलाइन फाइल की गई टिकट जमा रसीद अभिप्रेत है ;
- (ण) "तत्काल टिकट" से लघुतर अग्रिम आरक्षण अवधि वाली कोई टिकट अभिप्रेत है जो उन यात्रियों की मांग को पूरा करने के लिए जारी किए जाते हैं जिन्हें लघु सूचना पर यात्रा करनी है ;
- (त) "अनारक्षित टिकट" से कोई ऐसा टिकट अभिप्रेत है जिसमें कोई आरक्षण नहीं किया गया है ;
- (थ) "प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट" से कोई ऐसा टिकट अभिप्रेत है जिस पर कोई बर्थ या सीट आवंटित नहीं की गई है ।
- (3) **स्टेशन मास्टर द्वारा किराए का प्रतिदाय किया जाना, --(1)** इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनारक्षित टिकट पर, जब ऐसा टिकट किराए के प्रतिदाय के लिए टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत किया जाए, तब किराए का प्रत्येक प्रतिदाय ऐसे स्टेशन मास्टर द्वारा टिकट के स्टेशन के अभिलेख से असलियत का सत्यापन करने के पश्चात् मंजूर किया जाएगा ।
- (2) इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पुष्टिकृत टिकटों, आर.ए.सी. टिकटों और प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकटों पर, जब ऐसे टिकटों को किराए के प्रतिदाय के लिए टिकट जारी करने वाले स्टेशन के स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत किया जाए, तब किराए का प्रत्येक प्रतिदाय ऐसे स्टेशन मास्टर द्वारा टिकटों और उन विशिष्टियों की कम्प्यूटर के द्वारा या स्टेशन के अभिलेख में असलियत का सत्यापन करने के पश्चात् इन नियमों में विहित की गई समय सीमा के भीतर मंजूर किया जाएगा :

परंतु—

(क) उन टिकटों की दशा में, जो यात्रा के लिए, टिकट जारी करने वाले स्टेशन से भिन्न किसी स्टेशन से जारी की गई है, किराए का प्रतिदाय निम्नलिखित अनुसार अनुज्ञेय होगा—

(i) टिकट जारी करने वाले स्टेशन पर, यदि टिकट को, उस स्टेशन से जहां टिकट यात्रा के लिए विधिमान्य है, गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पूर्व, वापस किया जाता है; और

(ii) यात्रा आरंभ होने वाले स्टेशन पर, यदि टिकट को इन नियमों में विहित समय-सीमा के भीतर वापस किया जाता है; और

(ख) टिकट जारी करने वाले स्टेशन और यात्रा आरंभ करने वाले स्टेशन से भिन्न किसी स्टेशन के स्टेशन मास्टर द्वारा भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किराए का प्रतिदाय मंजूर किया जा सकेगा—

(i) टिकट को, आरक्षण कार्यालय के कार्य-समय के दौरान और संबंधित रेलगाड़ी के आरक्षण-चार्ट के तैयार करने से पूर्व, उस स्टेशन के लिए जहां से टिकट विधिमान्य है, किराए के प्रतिदाय के लिए वापस किया जाता है; और

(ii) टिकट और उसकी प्रविष्टियों की असलियत, कंप्यूटर के द्वारा या स्टेशन के अभिलेख से प्रतिदाय मंजूर करने वाले स्टेशन पर सत्यापनीय है।

4. लिपिकीय प्रभार का उदग्रहण .—इन नियमों के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्टेशन मास्टर अनारक्षित, प्रतीक्षा सूचीबद्ध और आर.ए. सी. के लिए दिव्तीय श्रेणी अनारक्षित टिकट के लिए तीस रुपए और दिव्तीय श्रेणी आरक्षित और अन्य श्रेणियों के लिए साठ रुपए की दर से प्रतियात्री लिपिकीय प्रभार उदग्रहीत करेगा।

5. अप्रयुक्त अनारक्षित टिकटों के रद्दकरण पर प्रतिदाय.—यदि अनारक्षित टिकट को रद्दकरण के लिए स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक टिकट पर लिपिकीय प्रभार काटने के पश्चात् किराए का प्रतिदाय किया जाएगा -

(i) यदि टिकट को, टिकट जारी करने के तीन घंटे के भीतर रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है;

(ii) अग्रिम रूप से जारी टिकटों की दशा में, यदि यात्रा की तारीख से पूर्व 2400 घंटे तक टिकट को प्रस्तुत किया जाता है, तो लिपिकीय प्रभार काटने के पश्चात् किराए का प्रतिदाय किया जाएगा।

6. अप्रयुक्त अनारक्षित टिकटों के रद्दकरण पर प्रतिदाय.—

(1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि किसी पुष्टिकृत टिकट को यात्री द्वारा या उसके प्रतिनिधि द्वारा रद्दकरण के लिए किसी स्टेशन मास्टर को प्रस्तुत किया जाता है तो रद्दकरण प्रभार काटने के पश्चात् निम्नानुसार किराए का प्रतिदाय किया जाएगा—

(क) यदि टिकट रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से अड़तालीस घंटे पहले रद्दकरण के लिए, प्रस्तुत किया जाता है तो वातानुकूलित प्रथम श्रेणी या एकजीक्यूटीव श्रेणी के लिए दो सौ चालीस रुपए, वातानुकूलित टू टीयर या प्रथम श्रेणी के लिए दो सौ रुपए, वातानुकूलित थ्री टीयर या थ्री इकोनोमी वातानुकूलित कुर्सी यान के लिए एक सौ अस्सी रुपए, स्लीपर श्रेणी के लिए एक सौ बीस रुपए, दिव्तीय श्रेणी के लिए साठ रुपए की सपाट दर पर प्रति यात्री रद्दकरण प्रभार की कटौती की जाएगी;

(ख) यदि टिकट रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पहले अड़तालीस घंटे से बारह घंटे के बीच रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो रद्दकरण प्रभार खंड (क) में निर्दिष्ट रद्दकरण प्रभार के न्यूनतम दर के अधीन रहते हुए रद्दकरण प्रभार किराए का पच्चीस प्रतिशत होगा

(ग) यदि किसी दूरी का टिकट रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पहले बारह घंटे से चार घंटे के बीच रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो रद्दकरण प्रभार खंड (क) में निर्दिष्ट रद्दकरण प्रभार के न्यूनतम दर के अधीन रहते हुए, रद्दकरण प्रभार किराए का पचास प्रतिशत होगा; और

(घ) यात्री, किसी यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) काउंटरो या अभिहित चालू काउंटरो से टिकट रद्द करवा सकेगा।

- (2) गाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पूर्व चार घंटे के बाद पुष्टिकृत टिकट पर कोई प्रतिदाय नहीं दिया जाएगा।
- (3) यदि एक यात्री से अधिक यात्री के यात्रा के लिए जारी किसी पार्टी टिकट या किसी कुटुंब टिकट की दशा में, जिसमें कुछ यात्रियों की पुष्टिकृत आरक्षण हो और अन्य आर ए सी या प्रतीक्षासूची पर हो, तो पुष्टिकृत यात्रियों के लिए लिपिकीय प्रभार कम करके पूरा प्रतिदाय इस शर्त के अधीन होगा कि संपूर्ण टिकट गाड़ी के प्रस्थान से पहले तीस मिनट तक रद्दकरण के लिए वापस किया जाता है।
- 7. अप्रयुक्त आर ए सी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट के रद्दकरण पर प्रतिदाय:—** (1) जहाँ किसी आर ए सी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट को रद्दकरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ लिपिकीय प्रभार की कटौती करने के पश्चात् किराए का प्रतिदाय दिया जाएगा यदि रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पहले तीस मिनट तक दूरी को ध्यान दिए बिना रद्दकरण के लिए टिकट प्रस्तुत किया गया हो।
- (2) यात्री किसी यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) काउंटर या अभिहित चालू काउंटर से आर ए सी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट का रद्दकरण के प्रतिदाय प्राप्त कर सकेगा।
- (3) रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान समय से पहले तीस मिनट पश्चात् आर ए सी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर किराए का कोई प्रतिदाय नहीं दिया जाएगा।
- (4) रात्री कालीन रेलगाड़ियों के लिए यात्रा प्रारंभ करने के स्टेशन पर 21:00 बजे से 06:00 बजे के बीच (वास्तविक प्रस्थान समय) किसी पी आर एस के माध्यम से जारी की गई आर ए सी टिकट या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट के रद्दकरण के लिए कोई सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में, किराए का प्रतिदाय आरक्षण कार्यालय के खुलने के पश्चात् दो घंटे के भीतर अनुज्ञेय होगा।
- (5) क्षेत्रीय रेल द्वारा पहचान किए गए अनुसार महाप्रबंधक के पूर्व अनुमोदन से और समय सारणी में मुद्रित दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में, उस दशा में, जहाँ कोई आरक्षण काउंटर या बुकिंग कार्यालय या चालू काउंटर उक्त क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, वहाँ 19:00 बजे और 06:00 बजे (वास्तविक प्रस्थान) के बीच रात्रि में प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ियों के लिए प्रतिदाय आरक्षण या बुकिंग कार्यालय के खुलने के पश्चात् पहले दो घंटे के भीतर अनुज्ञेय होगा।
- (6) जहाँ पुष्ट आरक्षण चार्ट के अंतिम रूप से तैयार किए जाने तक किसी भी समय आर ए सी या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकटधारक को टिकट उपलब्ध करा दिया गया है वहाँ ऐसा टिकट आरक्षित टिकट के रूप में समझा जाएगा और रद्दकरण प्रभार नियम 6 के अनुसार संदेय होगा।
- 8. इंटरनेट (आई और ई टिकट) के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के रद्दकरण पर प्रतिदाय:—** (1) ई टिकट, इंटरनेट के माध्यम से रद्द किया जाएगा और लागू प्रभारों की कटौती करने के पश्चात् जिस खाते से बुकिंग का कारबार किया गया हो, उसी खाते में किराए का प्रतिदाय होगा और आई टिकट की दशा में, टिकट आरक्षण काउंटर पर रद्द किया जाएगा और तत्पश्चात् आन लाइन आवेदन पर शीघ्र प्रतिदाय उसी खाते में वापस होगा जिस खाते से बुकिंग का कारबार किया गया हो।
- (2) इंटरनेट के माध्यम से बुक किए गए पुष्टिकृत टिकट की दशा में, नियम 6 के अनुसार किराए का प्रतिदाय होगा।
- (3) इंटरनेट के माध्यम से बुक किए गए आर ए सी टिकटों की दशा में, नियम 7 के अनुसार प्रतिदाय होगा।
- (4) इंटरनेट के माध्यम से बुक किए गए ई टिकट (पुष्टिकृत या आर ए सी) की दशा में, ऐसे टिकट आन लाइन रद्द किया जाएगा या आनलाइन टी डी आर प्रतिदाय अभिप्राप्त करने के लिए इन नियमों के अधीन विहित किए गए समय सीमा के भीतर फाइल किया जाएगा।
- (5) आरक्षण चार्ट के तैयार होने के पश्चात् यदि एक पी एन आर पर बुक किए गए सभी यात्रियों की प्रास्थिति प्रतीक्षासूची में है उक्त यात्री नाम अभिलेख (पी एन आर) पर बुक किए गए सभी ऐसे यात्रियों के नाम आरक्षण चार्ट से हटा दिए जाएंगे और लिपिकीय प्रभार की कटौती करने के पश्चात् उसी खाते में किराए का प्रतिदाय होगा जिस खाते में बुकिंग का कारबार किया गया हो और प्रतीक्षा सूचीबद्ध आई-टिकट की दशा में, ऐसे टिकट इन नियमों के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण पद्धति (पी आर एस) काउंटर पर रद्द किया जाएगा और तत्पश्चात् प्रतिदाय का दावा आनलाइन किया जा सकेगा और नियम 7 के अनुसार उसी खाते में प्रतिदाय होगा जिस खाते से बुकिंग का कारबार किया गया हो।
6. (i) एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दशा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्यो का आर ए सी या प्रतीक्षा सूची में है तो पुष्टिकृत यात्रियों को भी लिपिकीय प्रभार कम करने के

पश्चात् किराए का पूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधीन अनुज्ञेय होगा कि वे टिकट आन लाइन रद्द करेंगे या रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीस मिनट पहले तक सभी यात्री आनलाइन टी डी आर फाइल करेंगे।

(ii) एक से अधिक यात्रियों की यात्रा के लिए जारी की गई पार्टी टिकट या कुटुंब टिकट की दशा में, जब कुछ यात्रियों का टिकट पुष्टिकृत है और अन्य का आर ए सी या प्रतीक्षा सूची में है, आर ए सी या प्रतीक्षासूची के यात्रियों के यात्रा न करने की दशा में, टिकट जांच करने वाले कर्मचारिवृंद से इस प्रभाव का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करना होगा, टिकट जांच करने वाले कर्मचारिवृंद द्वारा जारी प्रमाणपत्र के व्योरे को दर्शित करते हुए टी डी आर के माध्यम से आनलाइन किराए के प्रतिदाय की प्रक्रिया होगा और आनलाइन टी डी आर यात्री के गंतव्य रेलगाड़ी के पहुंचने के वास्तविक समय से बहत्तर घंटे तक फाइल किया जाएगा और टिकट जांच करने वाले कर्मचारिवृंद द्वारा जारी किया गया मूल प्रमाणपत्र भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) को डाक द्वारा भेजा जाएगा और किराए का प्रतिदाय भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आई आर सी टी सी) द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् ग्राहक के खाते में किया जाएगा।

(7) यदि रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से चार घंटे पूर्व तक टिकट रद्द नहीं किया जाता है या टीडीआर ऑन लाइन फाइल नहीं की जाती है, तो ऐसे टिकटों पर, जिनके आरक्षण की पुष्टि की गई है किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।

(8) यदि रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से तीस मिनट पूर्व तक टिकट रद्द नहीं किया जाता है या टीडीआर ऑन लाइन फाइल नहीं की जाती है, तो आर ए सी ई-टिकटों पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।

(9) रेलगाड़ियों के रद्द होने की दशा में पुष्ट किए गए या आर ए सी ई-टिकट पर किराए को जिस खाते से काराबार किया गया है उसी खाते में सीधे स्वतः पूर्ण प्रतिदाय किया जाएगा और ऐसी दशा में ऑन लाइन रद्दकरण या टीडीआर फाइल करना आवश्यक नहीं होगा।

(10) अन्य परिस्थितियों में, प्रतिदाय नियम 9, नियम 13 के उपनियम (1) और (2) और नियम 14, 16, 17 और 18 में वर्णित समय सीमा के अनुसार ऑनलाइन टीडीआर फाइल करने के अधीन अनुज्ञेय होगा और जहाँ टिकट की जांच करने वाले कर्मचारिवृंद से कोई प्रमाणपत्र आवश्यक है, वहाँ यात्री उस प्रभाव का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करेगा, जिसके पश्चात् किराए का प्रतिदाय ऑनलाइन टीडीआर के माध्यम से उक्त प्रमाणपत्र के व्योरे उपदर्शित करते हुए प्रसंस्कृत करेगा और मूल प्रमाणपत्र डाक द्वारा भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को भेजा जाएगा, और तत्पश्चात् देय किराया भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात् ग्राहक के खाते में वापस किया जाएगा।

9. **अप्रयुक्त तत्काल टिकटों के रद्दकरण पर प्रतिदाय.**— (1) उपनियम (2), (3), (4), (5), (6) (7) और उपनियम (8) में वर्णित कतिपय परिस्थितियों के अधीन के सिवाय पुष्ट किए गए तत्काल टिकटों पर किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।

(2) अप्रयुक्त प्रतीक्षा सूचीबद्ध तत्काल टिकटों के लिए प्रतिदाय का प्रदान करना, नियम 7 द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(3) एक यात्री से अधिक यात्री की यात्रा के लिए जारी पार्टी तत्काल टिकट या कुटुंब तत्काल टिकट की दशा में कुछ यात्रियों की पुष्टिकृत आरक्षण हो और अन्य प्रतीक्षा सूची पर हों, तो पुष्टिकृत यात्रियों के लिए लिपिकीय प्रभार काट करके संपूर्ण प्रतिदाय इस शर्त के अधीन अनुज्ञेय होगा कि संपूर्ण तत्काल टिकट रेलगाड़ी के अनुसूचित प्रस्थान से पहले तीस मिनट तक रद्दकरण के लिए वापस कर दिया गया है।

(4) रेलगाड़ी के बिलंब से चलने के कारण यात्रा प्रारंभ न कर पाने या छूट जाने की दशा में प्रतिदाय का प्रदान नियम 13 द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(5) जहाँ रेल प्रशासन स्थान उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है, वहाँ टिकट का रद्द करना नियम 14 द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(6) रेल सेवाओं के विस्थापन के कारण यात्रा में रुकावट के कारण तत्काल टिकट का प्रतिदाय नियम 16 द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(7) जहां स्थान की कमी के कारण यात्रियों को निम्नतर श्रेणी में यात्रा करनी पड़ती है वहां तत्काल टिकटों के किराए का प्रतिदाय नियम 18 द्वारा विनियमित किया जाएगा और तत्काल प्रभारों के बीच का अंतर, यदि कोई हो, प्रतिदाय भी प्रदत्त किया जाएगा।

(8) कोई डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी नहीं किया जाएगा :

परंतु आपवादिक परिस्थितियों में पूरे किराए के संदाय पर, जिसके अंतर्गत तत्काल प्रभार भी हैं, डुप्लीकेट तत्काल टिकट जारी किया जा सकेगा।

10. अप्रयुक्त बहुउद्देशीय यात्रा टिकट के रद्दकरण पर प्रतिदाय.—जब कोई अप्रयुक्त टिकट, जिस पर एक से अधिक यात्राएं की जानी हैं, रद्दकरण के लिए प्रस्तुत की जाती है, तब संपूर्ण टिकट को एक एकल यात्रा टिकट के रूप में माना जाएगा और यात्रा के विभिन्न चरणों पर आरक्षण की स्थिति पर ध्यान न देते हुए संपूर्ण टिकट का प्रतिदाय यात्रा के प्रथम चरण पर आरक्षण की स्थिति अनुसार निम्न प्रकार से किया जाएगा :—

(i) यदि यात्रा के प्रथम चरण की आरक्षण की स्थिति पुष्ट है, तो प्रतिदाय नियम 6 के अनुसार किया जाएगा ; और

(ii) यदि यात्रा के प्रथम चरण की आरक्षण स्थिति आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूची में है, तो प्रतिदाय नियम 7 के अनुसार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :— रद्दकरण प्रभार या लिपिकीय प्रभार टिकट की संपूर्ण रकम पर एक बार उद्धृत किया जाएगा, न कि यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए पृथक् रूप से।

11. पुष्टिकृत, आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा का स्थगन या पूर्व नियतन.—

(1) पुष्टिकृत या आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा का स्थगित किया जाना उसी श्रेणी में और उसी गंतव्य के लिए या उसी रेलगाड़ी द्वारा किसी उच्चतर श्रेणी के लिए या किन्हीं पश्चात्पूर्व दिनों के लिए किसी अन्य रेलगाड़ी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा :—

(i) टिकट को आरक्षण कार्यालय में कार्यकारी घंटे के दौरान उस रेलगाड़ी के, जिसमें मूलतः टिकट बुक किया गया था, रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित इस सुविधा के समय किए गए निर्बंधन के अधीन प्रस्थान के नियत समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व वापस कर दिया जाता है ;

(ii) उस रेलगाड़ी में, जिसमें नए आरक्षण की मांग की गई है, पुष्टिकृत या आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूचीबद्ध स्थान उपलब्ध होना चाहिए ;

(iii) पुष्टिकृत टिकट की दशा में उस श्रेणी के लिए, जिसके लिए आरक्षण की मांग की गई है, नई आरक्षण फीस संदत्त कर दी गई है ; और

(iv) आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट की दशा में लिपिकीय प्रभार संदत्त कर दिया गया है।

(2) पुष्टिकृत या आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट पर यात्रा का पूर्व नियतन उसी श्रेणी में और उसी गंतव्य के लिए या उसी रेलगाड़ी द्वारा किसी उच्चतर श्रेणी के लिए या किन्हीं पूर्ववर्ती दिनों के लिए किसी अन्य रेलगाड़ी द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा :—

(i) टिकट को आरक्षण कार्यालय में कार्यकारी घंटे के दौरान उस रेलगाड़ी के, जिसमें मूलतः टिकट बुक किया गया था, रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित इस सुविधा के समय किए गए निर्बंधन के अधीन प्रस्थान के नियत समय से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व वापस कर दिया जाता है ;

(ii) उस रेलगाड़ी में, जिसमें नए आरक्षण की मांग की गई है, पुष्टिकृत या आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूचीबद्ध स्थान उपलब्ध होना चाहिए ;

(iii) पुष्टिकृत टिकट की दशा में उस श्रेणी के लिए, जिसके लिए आरक्षण की मांग की गई है, नई आरक्षण फीस संदत्त कर दी गई है; और

(iv) आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकट की दशा में लिपिकीय प्रभार संदत्त कर दिया गया है।

(3) मूलतः बुक की गई यात्रा और संशोधित यात्रा के किराए में अंतर की दशा में, यथास्थिति, किराए के अंतर के प्रतिदाय या वसूली, उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए की जाएगी।

(4) उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन यात्रा का स्थगन या पूर्व नियतन केवल एक बार अनुज्ञात किया जाएगा।

(5) तत्काल टिकट से भिन्न सामान्य रेलगाड़ी से यात्रा का स्थगित किया जाना या पूर्व नियतन तत्काल प्रभार के संदाय पर भी तत्काल कोटे के विरुद्ध लागू नहीं होगा।

(6) यदि वह टिकट, जिस पर उपनियम (1) और उपनियम (2) के अधीन यात्रा में परिवर्तन किया गया है, रद्द किया जाता है, तो रद्दकरण प्रभारों का संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :—

(क) यात्रा स्थगन या पूर्व नियतन समय मूल आरक्षण के लिए टिकट रद्द करने पर जो रद्दकरण प्रभार संदेय हो, और

(ख) परिवर्तित आरक्षण टिकट को नया आरक्षण मानते हुए जो रद्दकरण प्रभार देय हैं,

(ग) उन दशाओं में, जहां यात्रा के उपांतरण करते समय 25% अथवा 50% रद्दकरण प्रभार वसूल किया गया था, (क) में उल्लिखित रद्दकरण प्रभार पुनः वसूल नहीं किए जाएंगे और केवल (ख) में उल्लिखित रद्दकरण प्रभार वसूल किए जाएंगे।

12. यात्रा का निम्नतर श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में परिवर्तन.—(1) निम्नतर श्रेणी के लिए आरक्षित किसी टिकट पर उसी रेलगाड़ी में और उसी दिन के लिए किसी उच्चतर श्रेणी के लिए कोई परिवर्तन, कोई रद्दकरण प्रभार उद्गृहीत किए बिना अनुज्ञात होगा, किंतु यह उच्चतर श्रेणी के लिए नए सिरे से आरक्षण फीस और किराए का अंतर, यदि कोई हो, संदाय किए जाने पर और निम्नलिखित शर्त के अधीन रहते हुए होगा,—

(i) स्थान उपलब्ध है, और

(ii) परिवर्तन के लिए अनुरोध,—

(क) आरक्षण कार्यालय के कार्यकारी घंटों के दौरान एवं रेल प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिरोपित इस सुविधा के समय किए गए निर्बंधन के अधीन रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से छह घंटे पूर्व किया गया है;

(ख) रेलगाड़ी में यात्रा के दौरान किया गया है।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परिवर्तन केवल एक बार ही अनुज्ञेय होगा।

(3) यदि ऐसा टिकट, जिस पर उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञात आरक्षण में परिवर्तन किया गया है, रद्द कर दिया जाता है तो रद्दकरण प्रभार निम्नानुसार संदेय होगा, अर्थात् :—

(क) वह रद्दकरण प्रभार, जो उस समय देय होता यदि मूल आरक्षण तब रद्द किया जाता जब आरक्षण में परिवर्तन किया जाना अनुज्ञात किया गया था; और

(ख) वह रद्दकरण प्रभार, जो परिवर्तन आरक्षण की बाबत देय हो, मानो वह परिवर्तित आरक्षण कोई नया आरक्षण हो।

13. रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के कारण यात्रा का प्रारंभ न किया जाना या गाड़ी छूट जाना.—(1) यदि यात्री द्वारा यात्रा के आरंभिक स्टेशन से रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत समय से तीन घंटे अधिक विलंब से चलने के कारण यात्रा नहीं की गई है, तो आरक्षित, आर.ए.सी. या प्रतीक्षा सूचीबद्ध टिकटधारक सभी यात्रियों से, इस शर्त के अधीन रहते हुए कोई रद्दकरण प्रभार या लिपिकीय प्रभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरे किराए का प्रतिदाय किया जाएगा कि,—

(i) टिकट को रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय तक वापस कर दिया जाता है;

(ii) पूर्ण प्रतिदाय प्राप्त करने के लिए ई-टिकटों की दशा में, टी.डी.आर. को रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय से पहले ऑनलाइन फाइल कर दिया जाता है।

(2) रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय के पश्चात् टिकट के रद्दकरण या वापसी की दशा में या यदि किराए के प्रतिदाय के लिए अनुरोध, रेलगाड़ी के वास्तविक समय के पश्चात् ऑनलाइन फाइल किया गया है तो किराए का कोई प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा।

(3) जहां कोई यात्री, जिसके पास टिकट है, चाहे-उस टिकट पर आरक्षण कराया गया हो या नहीं, और जिस रेलगाड़ी से उसने यात्रा की थी, उसके विलंब से चलने के कारण किसी जंक्शन स्टेशन पर उससे संबद्ध रेलगाड़ी छूट जाती है, वहां यात्रा किए गए भाग का किराया प्रतिधारित कर लेने के पश्चात् यात्रा न किए गए भाग के किराए का, कोई रद्दकरण प्रभार या लिपिकीय प्रभार उद्गृहीत किए बिना, प्रतिदाय कर दिया जाएगा, यदि वह ऐसा टिकट रेलगाड़ी के, जिससे उसने यात्रा की है, पहुंचने के वास्तविक समय के तीन घंटे के भीतर प्रतिदाय के लिए वापस कर देता है और किराए का प्रतिदाय उसी जंक्शन स्टेशन पर मंजूर कर दिया जाएगा।

14. रेल प्रशासन द्वारा स्थान देने में असमर्थ होने की दशा में टिकटों का रद्दकरण.—जहां रेल प्रशासन ऐसे यात्रियों के लिए, जिनके पास आरक्षित टिकट है, किसी भी कारणवश स्थान देने में समर्थ नहीं होता, वहां कोई रद्दकरण प्रभार उद्गृहीत नहीं होगा और उनको किराए का पूरा प्रतिदाय किया जाएगा, यदि ऐसे टिकट रेलगाड़ी के प्रस्थान के वास्तविक समय से तीन घंटे के भीतर प्रतिदाय के लिए अभ्यर्पित कर दिए जाते हैं :

परंतु जब रेलगाड़ी दुर्घटना, टूट-फूट एवं बाढ़ जैसी अकल्पित परिस्थितियों के कारण रद्द कर दी जाती है तब टिकट रेलगाड़ी के प्रस्थान के नियत दिन को छोड़कर तीन दिन के भीतर वापस कर दिया जाए।

15. आंशिक रूप से प्रयुक्त टिकट पर प्रतिदाय.—(1) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे टिकट पर, जिस पर आंशिक रूप से यात्रा की गई है, कोई प्रतिदाय स्टेशन पर नहीं किया जाएगा।

(2) जहां कोई यात्री बीच मार्ग में अपनी यात्रा समाप्त कर देता है, वहां स्टेशन मास्टर, टिकट अभ्यर्पित करने के बदले में टिकटधारक को टिकट निक्षेप रसीद जारी करेगा और प्रतिदाय नियम 23 के निबंधनों के अधीन अनुज्ञेय होगा और ऐसे मामलों में यात्रा किए गए भाग का किराया प्रतिधारित किया जाएगा और टिकट की शेष रकम यात्रा न किए गए भाग के लिए किराए के रूप में प्रतिदेय होगी।

16. रेलगाड़ी सेवा के अस्त-व्यस्त होने के कारण यात्रा की बीच में समाप्ति सेवाओं के बंद होने.—(1) जब दुर्घटना, टूटफूट और बाढ़ जैसी अकल्पित परिस्थितियों के कारण, रेल मार्ग में ही यात्रा अस्त-व्यस्त हो जाए तब बुक की गई संपूर्ण यात्रा का पूरा किराया, यात्रा किए गए भाग के लिए कोई कटौती किए बिना और रद्दकरण प्रभार के उद्ग्रहण के बिना, यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर निम्नलिखित परिस्थितियों के अधीन वापस किया जाएगा—

(क) जब रेल प्रशासन या मार्ग परिवर्तन की या अन्यथा कोई व्यवस्था करके यात्री को गंतव्य स्टेशन तक युक्तियुक्त समय के भीतर पहुंचाने में असमर्थ हो; या

(ख) जब यात्री रेल दुर्घटनाग्रस्त हुआ हो या दुर्घटना में घायल हुआ हो और अपनी यात्रा जारी न कर सकता हो; या

(ग) रेल दुर्घटना में यात्री की मृत्यु या क्षति की दशा में उसके निकट संबंधियों को यात्रा समाप्त करनी पड़ी हो।

(2) जब रेल प्रशासन यात्री को उसके गंतव्य स्थान तक किसी परिवर्तित मार्ग से होकर या स्थानान्तरण अथवा अन्य कोई व्यवस्था करके ले जाने के लिए तत्पर हो और यात्री ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार करने का इच्छुक न हो तो यात्रा किए गए भाग का किराया प्रतिधारित किया जाएगा और टिकट की शेष रकम का यात्रा न किए गए भाग के किराए के रूप में उसे यात्रा समाप्त होने वाले स्टेशन पर रद्दकरण प्रभार उद्गृहीत किए बिना प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

(3) जहां बंद, आंदोलन या रेल रोक के कारण यात्रा मार्ग में ही अस्त-व्यस्त हो जाए, वहां यात्रा किए गए भाग के किराए को प्रतिधारित किया जाएगा और टिकट की शेष रकम को, यात्रा न किए गए भाग के किराए के रूप में, रद्दकरण प्रभार उद्गृहीत किए बिना, प्रतिदाय किया जाएगा।

(4) यदि ऐसी रेलगाड़ियां, जिनकी स्थान से स्थान तक के आधार पर पृथक रूप से अपनी संपूर्ण सम्मिलित किराया पद्धति है, वहां समाप्त होती हैं जहां रेलगाड़ी का अनियमित ठहराव है और यात्री उस अनुकल्पी इंतजाम का उपयोग करना नहीं

चाहता है जो रेल प्रशासन ने यात्री को उसके गंतव्य स्टेशन पर ले जाने के लिए किया है तो टिकट के प्रति- किलोमीटर किराए के आधार पर यात्रा की गई दूरी का किराया प्रतिधारित कर लिया जाएगा और टिकट की शेष रकम का यात्रा न किए गए भाग के किराए के रूप में प्रतिदाय किया जाएगा।

17. वातानुकूलित डिब्बों में वातानुकूलन सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रहने पर कतिपय किराए का प्रतिदाय.—

(1) जहां यात्रा के किसी भाग के लिए वातानुकूलन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है वहां वातानुकूलित डिब्बे के लिए जारी किए गए टिकटों पर यात्रा के उस भाग के लिए प्रतिदाय निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि टिकट वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के लिए है तो वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराए और प्रथम श्रेणी के किराए के बीच का अंतर ; या

(ख) यदि टिकट वातानुकूलित II-टीयर या वातानुकूलित III-टीयर श्रेणी के लिए है, तो वातानुकूलित II-टीयर या वातानुकूलित III-टीयर श्रेणी के किराए और स्लीपर श्रेणी के किराए (डाक और एक्सप्रेस) के बीच का अंतर ; या

(ग) यदि टिकट वातानुकूलित कुर्सीयान के लिए है, तो वातानुकूलित कुर्सीयान के किराए और द्वितीय श्रेणी के किराए (डाक और एक्सप्रेस) के बीच का अंतर ; या

(घ) यदि टिकट एक्सीक्यूटिव श्रेणी के लिए है, तो संबद्ध खंड के लिए अधिसूचित एक्सीक्यूटिव श्रेणी के किराए और उस खंड की संबद्ध दूरी के लिए प्रथम श्रेणी के किराए (डाक और एक्सप्रेस) के बीच का अंतर ।

(2) उपनियम (1) के अधीन किराए के अंतर का प्रतिदाय गंतव्य स्टेशन पर टिकट के साथ रेलगाड़ी के टिकट जाँच करने वाले कर्मचारिवृंद का ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा जिसमें टिकट, डिब्बे का संख्यांक और जिन स्टेशनों के बीच वातानुकूलन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, का विवरण दिया गया हो और उसे रेलगाड़ी पहुंचने के बीस घंटे के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया हो ।

18. जब यात्रियों को स्थान के अभाव में निम्नतर श्रेणी में यात्रा करनी पड़े तब किराए का प्रतिदाय.—यदि उच्चतर श्रेणी के टिकट धारक को स्थान के अभाव में उस श्रेणी से जिसके लिए टिकट जारी किया गया है निम्नतर श्रेणी में यात्रा करनी पड़ जाए तो जिस किराए का संदाय किया गया है उसके और उस श्रेणी के, जिसमें उसने वस्तुतः यात्रा की है, किराए के बीच के अंतर का प्रतिदाय यथास्थिति, गंतव्य स्टेशन या आरंभिक स्टेशन पर किया जाएगा:

परन्तु गंतव्य स्टेशन पर प्रतिदाय केवल रेल गाड़ी के टिकट को जाँच करने वाले कर्मचारिवृंद द्वारा ऐसा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा, जिसमें उसने यह प्रमाणित किया हो कि टिकट धारक को स्थान न मिलने के कारण उस श्रेणी से जिसके लिए उसे टिकट जारी किया गया था निम्नतर श्रेणी में यात्रा करनी पड़ी है और गंतव्य स्टेशन पर गाड़ी पहुंचने के बीस घंटों के भीतर टिकट के साथ-साथ उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो (प्रमाणपत्र जारी करने के दिन को छोड़कर)।

19. खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत टिकट.—(1) खोए हुए या मिल न पा रहे टिकट की बाबत कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

(2) फटे या विकृत टिकट की बाबत किराए का प्रतिदाय मंजूर किया जाएगा यदि इसकी असलियत और प्रमाणित इस पर दृश्य विशिष्टियों के आधार पर सत्यापन योग्य हैं।

(3) यदि खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत टिकट की आरक्षण प्रास्थिति, यात्रा करने के प्रयोजन के लिए दूसरा टिकट जारी करने के लिए आवेदन की प्राप्ति के समय पर पुष्टिकृत है या आर.ए.सी. है और दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी का आरक्षण चार्ट तैयार होने से पूर्व बांछा गया है, तब स्टेशन मास्टर द्वितीय श्रेणी और स्लीपर क्लास की दशा में प्रतिभागी पचास रूपए तथा अन्य श्रेणियों के लिए प्रतिभागी एक सौ रूपए पर प्रभारों का संग्रहण करके मूल टिकट के बदले में दूसरा टिकट जारी करेगा ।

(4) यदि खोए हुए या मिल न पा रहे पुष्टिकृत टिकट के बदले दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट के बनने के पश्चात् मांगा गया है, तो यह उप नियम (3) में उल्लिखित न्यूनतम संदाय के अर्थात् कुल किराए के 50 प्रतिशत के समतुल्य बसूली प्रभार पर जारी किया जाएगा ।

(5) दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट के बनने के पश्चात् आर.ए.सी. की बाबत जारी नहीं किया जाएगा ।

(6) यदि फटे या विकृत पुष्टिकृत या आर.ए.सी. वाले टिकट के बदले दूसरा टिकट संबद्ध रेलगाड़ी के आरक्षण चार्ट के बनने के पश्चात् मांगा गया है, तो यह उप नियम (3) में उल्लिखित न्यूनतम संदाय के अर्थात् कुल किराए के 25 प्रतिशत के समतुल्य प्रभार के संदाय पर जारी किया जाएगा।

(7) पार्टी द्वारा बुक कराए गए डिब्बा टिकट या विशेष रेलगाड़ी टिकट की बाबत दूसरा टिकट, कुल किराए के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रभार के संदाय पर रेलगाड़ी के प्रस्थान के समय तक जारी किया जाएगा।

(8) उपनियम (3),(4),(5) और उपनियम (6) के अधीन संदाय प्रभार की बाबत कोई किराया प्रतिदाय मंजूर नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों के, जहां खोया हुआ या मिल न पा रहा टिकट, दूसरा टिकट जारी किए जाने के पश्चात् मिल जाता है और रेलगाड़ी के प्रस्थान से पहले दूसरे टिकट के साथ प्रस्तुत किया जाता है और ऐसे मामलों में दूसरा टिकट जारी करने के लिए संगृहीत प्रभार, 20रु. की न्यूनतम कटौती के अधीन रहते हुए 5 प्रतिशत कटौती के पश्चात् प्रतिदाय किया जाएगा, किंतु यदि यात्रा भी नहीं की गई है तो मूल टिकट का रद्दकरण प्रभार इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित रूप में अवधारित किया जाएगा।

(9) यदि यात्री, जिसने खोए हुए, मिल न पा रहे, फटे या विकृत हुए पुष्टिकृत या आर.ए.सी. टिकट पर रेलगाड़ी में अधिक प्रभार संदत्त किया है, रेल गाड़ी में संदत्त प्रभार के प्रतिदाय को देने के लिए किसी रेल प्रशासन को आवेदन करता है, तो उस रेल प्रशासन के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक, प्रतिदाय, ऐसी पूछताछ करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझे, प्रतियात्री एकल यात्रा टिकट किराए का 50 प्रतिशत रद्दकरण प्रभार प्रतिधारित करने के पश्चात्, रेलगाड़ी में वसूल किए गए कुल प्रभार का प्रतिदाय इस शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकते हैं, कि किसी ने भी मूल टिकट पर पूर्वतर प्रतिदाय नहीं लिया हो।

20. रियायती और विशेषाधिकार टिकट आदेश टिकटों पर प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्री.—जब किसी व्यक्ति ने किसी रियायती आदेश या विशेषाधिकार टिकट आदेश पर टिकट खरीदा हो और वह किसी रेलगाड़ी में आरक्षण के लिए प्रतीक्षा सूचीबद्ध हो तो वह उसी तारीख को अथवा किसी अन्य तारीख को किसी अन्य रेलगाड़ी में रियायती किराए के लाभ से वंचित हुए बिना आरक्षण कराने का हकदार होगा।

21. वापसी टिकटों का अप्रयुक्त भाग.—(1) रियायती वापसी टिकटों के अप्रयुक्त भाग के लिए कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

(2) जब वापसी टिकट बिना किसी रियायत के जारी किया गया हो तो उसे एक तरफ यात्रा के दो टिकटों के समान माना जाएगा और प्रतिदाय तदनुसार किया जाएगा।

22. यदि यात्रा नहीं की जाती है तो अप्रयुक्त टिकट के किराए तथा उसी टिकट पर बुक किए गए सामान की बाबत सामान टिकटों पर वसूल किए गए भाड़े का प्रतिदाय स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित सामग्री के अनुसार किया जाएगा, अर्थात:-

सारणी		
(1)	(2)	(3)
(क)	यदि सामान उस स्टेशन पर जहां से यात्रा आरंभ होती है, वापस लिया जाता है।	सामान टिकट रद्द कर दिया जाएगा और स्थान शुल्क प्रभारों, यदि कोई हों, की वसूली तथा रद्दकरण शुल्क पांच रूपए प्रति सामान टिकट काटकर पहले से वसूल किए गए भाड़े का प्रतिदाय कर दिया जाएगा तथा टिकट पर इस आशय का पृष्ठांकन कर दिया जाएगा।
(ख)	यदि सामान उस स्टेशन से जहां से यात्रा आरंभ होती है, पहले ही भेजा जा चुका हो।	वजन छूट के अनुसार अनुज्ञेय वजन पर भाड़ा प्रभार वसूल किया जाएगा और इस आशय की टिप्पणी यात्रा टिकट पर पृष्ठांकित की जाएगी।

(2) उस यात्रा टिकट को प्रस्तुत करने पर जिस पर सामान बुक किया गया है किराए का प्रतिदाय विहित रद्दकरण या लिपिकीय प्रभारों को काटकर तभी किया जाएगा जब अप्रयुक्त टिकट पर उपनियम (1) में निर्दिष्ट पृष्ठांकन किया गया हो।

23. अन्य परिस्थितियों में यात्री आरक्षण पद्धति (पीआरएस) टिकटों के प्रतिदाय के लिए आवेदन.—(1) इन नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाने से भिन्न या ऐसी परिस्थितियों में जैसे बंद, आंदोलन या बाढ़, आदि के अधीन किराए के प्रतिदाय के लिए

यात्री, टिकट के रद्दकरण के लिए आरक्षण खिड़की या स्टेशन या चालू खिड़कियों पर नहीं पहुँच पाते हैं तो उन दशाओं में यात्री को टीडीआर जारी किया जाएगा और यात्री यात्रा प्रारंभ करने की तारीख से दस दिन के भीतर उसे रेल प्रशासन के मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक (प्रतिदाय) को जिसके क्षेत्राधिकार में टीडीआर निर्गत किया गया है मूल टीडीआर संलग्न करते हुए प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में टीडीआर रेलगाड़ी के प्रस्थान के अनुसूचित समय के पश्चात केवल तीन दिन तक जारी किया जाएगा।

[फा. सं. टीसी-II/2003/2015/प्रतिदाय नीति]

बी. प्रशांत कुमार, कार्यकारी निदेशक (यात्री विपणन)/रेलवे बोर्ड

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2015

G.S.R.836(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (b) of sub-section (2) of Section 60 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) and in supersession of Railway Passengers (Cancellation of tickets and refund of fare) Rules, 1998, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Railway Passengers (Cancellation of Ticket and Refund of Fare) Rules, 2015.
- (2) They shall come into force on the 12th day of November, 2015.
2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "ARP" means advance reservation period upto which a reserved ticket can be booked for a future journey date;
 - (b) "authorised agent" means a person authorised by a railway administration to issue reserved or unreserved tickets and to cancel reserved tickets;
 - (c) "clerkage" means a charge levied by a railway administration for the clerical work rendered by it in the refund of fares;
 - (d) "confirmed ticket" means a ticket on which a berth or seat has been confirmed;
 - (e) "destination station" means the station for which the ticket has been issued;
 - (f) "fare" includes basic fare, supplementary charge on superfast trains, reservation fee and other applicable miscellaneous charges;
 - (g) "RAC ticket" means Reservation Against Cancellation ticket on which a seat has been reserved against requisition for a berth and a berth may be subsequently provided against cancellation, if any;
 - (h) "railway ticketing centre" means a place where reserved or unreserved tickets are issued by railway employee or through an authorised agent;
 - (i) "reservation fee" means the charge, in addition to the fare, levied by a railway administration for the reservation of a berth or seat;
 - (j) "reserved ticket" means a journey ticket on which a berth or seat has been reserved;
 - (k) "station" means a railway station and includes other reservation office or railway ticketing centre in the same city;
 - (l) "station master" means a railway employee, by whatever name called, having overall charge of a railway station and includes any other railway employee authorised to grant refund of fare at a station;
 - (m) "ticket" means a single journey ticket or any half or return ticket but does not include a season ticket, an Indrail Pass ticket or a special ticket for a reserved carriage or a tourist car or saloon, or a special train;

- (n) "TDR" means ticket deposit receipt issued to the passenger in lieu of the surrendered ticket, at the station where the ticket has been surrendered by the passenger or in case of ticket booked through internet, the ticket deposit receipt filed online;
 - (o) "tatkal ticket" means a ticket with shorter advance reservation period, issued to meet the requirements of those passengers who have to travel at short notice;
 - (p) "unreserved ticket" means a ticket in which no reservation has been made;
 - (q) "wait-listed ticket" means a ticket on which no berth or seat has been allotted.
3. **Station master to refund fares.**—(1) Subject to the other provisions of these rules, every refund of fare on unused unreserved ticket shall, when such ticket is presented for refund of fare to the station master of ticket issuing station, be granted by such station master after verifying the genuineness of the ticket from the record of the station.
- (2) Subject to the other provisions of these rules, every refund of fare on confirmed tickets, RAC tickets and wait-listed tickets shall, when such tickets are presented for refund of fare to the station master of ticket issuing station, be granted within the time limits prescribed in these rules, by such station master after verifying the genuineness of the tickets through computer or from the record of the station:
- Provided that—
- (a) in case of tickets which were issued for travel from a station other than the ticket issuing station, refund of fare shall be admissible at —
 - (i) the ticket issuing station, if the ticket is surrendered before the scheduled departure of the train from the station from where the ticket is valid for travel; and
 - (ii) the journey commencing station, if the ticket is surrendered within the time limits prescribed in these rules; and
 - (b) refund of fare may also be granted by the station master of a station other than the ticket issuing station and journey commencing station subject to the conditions that —
 - (i) the ticket is surrendered for refund of fare during working hours of the reservation office and before the preparation of reservation chart, of the concerned train, for the station from where the ticket is valid; and
 - (ii) the genuineness of the ticket and its particulars are verifiable at the refund granting station through computer or from record of the station.
4. **Levy of clerkage.**—Subject to the other provisions of these rules, the station master shall levy a clerkage charge per passenger for cancellation of unreserved, wait-listed and RAC tickets at the rate of rupees thirty for second class unreserved ticket and rupees sixty for second class reserved ticket and other classes.
5. **Refund on cancellation of unused unreserved tickets.**— If an unreserved ticket is presented to the station master for cancellation, the refund of fare shall be made on every such ticket after deducting the clerkage—
- (i) if the ticket is presented for cancellation within three hours of the issue of tickets;
 - (ii) in case of tickets issued in advance, if the ticket is presented upto 2400 hours of the day preceding the day of journey.
6. **Refund on cancellation of unused reserved tickets.**— (1) Subject to the provisions of these rules, if a confirmed ticket is presented by the passenger or his representative to a station master for cancellation, the refund of fare shall be made after deducting cancellation charges from the fare as follows:—
- (a) if the ticket is presented for cancellation more than forty-eight hours in advance of the scheduled departure of the train, a minimum per passenger cancellation charge shall be deducted at the flat rate of rupees two hundred and forty for air conditioned first class or executive class, rupees two hundred for air conditioned-II tier or first class, rupees one hundred and eighty for air conditioned III-tier or III-economy or air conditioned chair car, rupees one hundred and twenty for sleeper class and rupees sixty for second class;
 - (b) if the ticket is presented for cancellation between forty-eight hours and upto twelve hours before the scheduled departure of the train, the cancellation charge shall be twenty-five per cent. of the fare subject to the minimum of the cancellation charge referred to in clause (a);
 - (c) if the ticket is presented for cancellation within twelve hours before the scheduled departure of the train and upto four hours before the scheduled departure of the train irrespective of distance, the cancellation charge shall be fifty per cent. of the fare subject to the minimum of the cancellation charge referred to in clause (a);
 - (d) the passenger may get the ticket cancelled from any Passenger Reservation System (PRS) counters or designated current counters;

- (2) No refund shall be granted on the confirmed ticket after four hours before the scheduled departure of the train.
- (3) In case, on a party ticket or a family ticket issued for travel of more than one passenger, some passengers have confirmed reservation and others are on RAC or waiting list, full refund of fare, less clerkage, shall be admissible for confirmed passengers also subject to the condition that the entire ticket is surrendered for cancellation upto thirty minutes before the scheduled departure of the train.
7. **Refund on cancellation of unused RAC or wait-listed tickets.**—(1) Where a RAC ticket or wait-listed ticket is presented for cancellation, the refund of fare shall be made after deducting the clerkage if the ticket is presented for cancellation upto thirty minutes before the scheduled departure of the train irrespective of the distance.
 - (2) The passenger may get the RAC ticket or wait-listed ticket cancelled from any Passenger Reservation System (PRS) counter or designated current counter.
 - (3) No refund of fare shall be granted on RAC ticket or wait-listed ticket after thirty minutes before the scheduled departure of the train.
 - (4) In case no facility of cancellation of RAC ticket or wait-listed ticket issued through PRS is available at the station originating the journey for night trains leaving between 2100 hours and 0600 hours (actual departure), the refund of fare shall be admissible at the station within first two hours after the opening of reservation office.
 - (5) In remote and hilly areas as identified by the Zonal Railways, with the prior approval of the General Manager and printed in the time table, for night trains leaving between 1900 hours and 0600 hours (actual departure), the refund shall be admissible at the station within first two hours after the opening of reservation or booking office, in case there is no reservation counters or booking office or current counters available in that area.
 - (6) Where confirmed reservation has been provided to RAC or wait-listed ticket holder at any time upto final preparation of reservation chart, such ticket shall be treated as a reserved ticket and cancellation charge shall be payable in accordance with rule 6.
8. **Refund on cancellation of tickets booked through internet (i and e-tickets).**—(1) The e-tickets shall be cancelled through internet and the refund of fare shall be credited to the account from which booking transaction took place, after deducting the applicable charges and in case of i-tickets, the ticket shall be cancelled at the reservation counter and thereafter on online application, refund due shall be credited to the account from which booking transaction took place.
 - (2) In case of a confirmed ticket booked through internet, refund of fare shall be granted in accordance with rule 6.
 - (3) In case of RAC tickets booked through internet, refund of fare shall be granted in accordance with rule 7.
 - (4) In case of e-tickets booked through internet (confirmed or RAC), such tickets shall be cancelled online or online TDR shall be filed within the time limits prescribed under these rules for obtaining refund.
 - (5) In case of wait-listed e-tickets on which status of all the passengers is on waiting list even after preparation of reservation chart, names of all such passengers booked on that Passenger Name Record (PNR) shall be dropped from the reservation chart and refund of fare shall be credited to the account from which booking transaction took place after deducting clerkage and in case of wait-listed i-tickets, such tickets shall be cancelled at the computerised Passenger Reservation System (PRS) counter within the time limits prescribed under these rules and thereafter refund can be claimed online and the refund shall be credited to the account from which booking transaction took place, in accordance with rule 7.
 - (6) (i) In case, on a party e-ticket or a family e-ticket issued for travel of more than one passenger, some passengers have confirmed reservation and others are on RAC or waiting list, full refund of fare, less clerkage, shall be admissible for confirmed passengers also subject to the condition that the ticket shall be cancelled online or online TDR shall be filed for all the passengers upto thirty minutes before the scheduled departure of the train.
 - (ii) In case of party e-ticket or family e-ticket issued for travel of more than one passenger, some passengers have confirmed reservation and others are on the list of RAC or waiting list, then in case of passengers on RAC or waiting list not travelling, a certificate shall be obtained from the ticket checking staff to that effect and refund of fare shall be processed online through TDR, indicating the details of the certificate issued by ticket checking staff and the online TDR shall be filed upto seventy-two hours of actual arrival of the train at passengers' destination and the original certificate issued by the ticket checking staff shall be sent through post to Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), and the fare shall be refunded by Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) to the customer's account after due verification.
 - (7) No refund of fare shall be admissible on the tickets having confirmed reservation in case the ticket is not cancelled or TDR not filed online upto four hours before the scheduled departure of the train.
 - (8) No refund of fare shall be admissible on RAC e-tickets in case the ticket is not cancelled or TDR not filed online upto thirty minutes before the scheduled departure of the train.

- (9) In case of cancellation of trains, automatic full refund of fare on confirmed or RAC e-tickets shall be directly credited to the account from which booking transaction took place and online cancellation or filing of TDR shall not be required in such case.
- (10) In other circumstances, the refund shall be admissible as per the time limit mentioned in rule 9, sub-rules (1) and (2) of rule 13 and rules 14, 16, 17 and 18 subject to filing of online TDR and wherever a certificate from ticket checking staff is required, the passenger shall obtain the same to that effect whereupon refund of fare shall be processed online through TDR, indicating the details of the said certificate and the original certificate shall be sent through post to the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC), and thereafter the fare due shall be refunded by Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) to the customer's account after due verification.

9. **Refund on cancellation of unused tatkal tickets.**—(1) No refund of fare shall be admissible on confirmed tatkal tickets except under certain circumstances mentioned in sub-rules (2), (3), (4), (5), (6), (7) and sub-rule (8).
- (2) Grant of refund for unused wait-listed tatkal tickets shall be governed by rule 7.
- (3) In case of party tatkal ticket or family tatkal ticket issued for travel for more than one passenger, some passengers have confirmed reservation and others are on waiting list, full refund of fare, less clerkage shall be admissible for confirmed passengers also subject to the condition that entire tatkal ticket is surrendered for cancellation upto thirty minutes before the scheduled departure of the train.
- (4) Grant of refund in case of non-commencement or missing of journey due to late running of train shall be governed by rule 13.
- (5) Cancellation of ticket where railway administration is unable to provide accommodation shall be governed by rule 14.
- (6) Refund of tatkal ticket on account of discontinuation of journey due to dislocation of train services shall be governed by rule 16.
- (7) Refund of fare on tatkal tickets when passengers are made to travel in lower class for want of accommodation shall be governed by rule 18 and the refund of difference between tatkal charges, if any, shall also be granted.
- (8) No duplicate tatkal tickets shall be issued;

Provided that duplicate tatkal ticket may be issued in exceptional circumstances on payment of full fare including tatkal charges.

10. **Refund on cancellation of unused multiple journey tickets.**—When an unused ticket involving more than one journey is surrendered for cancellation, the entire ticket shall be treated as one single journey ticket and refund of fare of the entire ticket, irrespective of reservation status of different laps of journeys, shall be granted as per reservation status of first lap of journey, as under:—

- (i) if reservation status of first lap of journey is confirmed, refund shall be granted in accordance with rule 6; and
- (ii) if reservation status of first lap of journey is RAC or waiting list, refund shall be granted, in accordance with rule 7.

Explanation.—The cancellation charges or clerkage shall be levied only once on the entire amount of ticket and not separately for each lap of journey.

11. **Postponement or preponement of journey on a confirmed, RAC or waitlisted ticket.**—

- (1) The postponement of journey on confirmed or RAC or wait-listed ticket shall be allowed in the same class and for the same destination or any higher class by the same train or by any other train for any subsequent days, subject to condition that—
- (i) the ticket is surrendered during the working hours of reservation office at least forty-eight hours before the scheduled departure of the train in which the ticket was originally booked, subject to restriction on timings of this facility imposed by railway administration from time to time;
- (ii) the confirmed or RAC or wait-listed accommodation is available in the train in which fresh reservation is required;
- (iii) in case of confirmed ticket, fresh reservation fee for the class for which reservation is required, is paid; and
- (iv) in case of RAC or wait-listed ticket, clerkage charge is paid.
- (2) The preponement of journey on confirmed or RAC or wait-listed ticket shall be allowed in the same class and for the same destination or any higher class by the same train or by any other train for any earlier days, subject to condition that—

- (i) the ticket is surrendered during the working hours of reservation office at least forty-eight hours before the scheduled departure of the train in which the ticket was originally booked, subject to restriction on timings of this facility imposed by railway administration from time to time;
 - (ii) the confirmed or RAC or wait-listed accommodation is available in the train in which fresh reservation is required;
 - (iii) in case of confirmed tickets, fresh reservation fee for the class for which reservation is required, is paid; and
 - (iv) in case of RAC or wait-listed ticket, clerkage charge is paid.
- (3) In case of difference in fares for originally booked journey and revised journey, the difference of fare shall be refunded or recovered, as the case may be, subject to the provisions of sub-rules (1) and (2).
- (4) The postponement or preponement of journey under the sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be allowed only once.
- (5) The postponement or preponement of journey on normal train ticket other than tatkal ticket shall not be applicable against tatkal quota even on payment of tatkal charges.
- (6) If the ticket, on which journey has been altered under the sub-rule (1) or sub-rule (2) is cancelled, cancellation charges shall be payable as follows :—
- (a) cancellation charges as would have been due if the ticket for original reservation had been cancelled at the time of postponement or preponement of journey;
 - (b) cancellation charges due in respect of ticket for altered reservation as if this altered reservation is a fresh reservation.
 - (c) in cases where twenty-five per cent. or fifty per cent. cancellation charges were realised at the time of modification of journey, the cancellation charges mentioned in clause (a) shall not be levied again and the cancellation charges mentioned in clause (b) only shall be levied.
- 12. Change of journey from lower class to higher class.**—(1) Change of reservation shall be allowed on a reserved ticket of lower class for higher class on the same train and day without levying any cancellation charges but on payment of fresh reservation fee and difference of fare, if any, for higher class subject to the condition that —
- (i) accommodation is available; and
 - (ii) the request for change is made -
- (a) either during the working hours of reservation office and upto six hours before the scheduled departure of the train subject to restriction on timings of this facility imposed by railway administration from time to time; or
 - (b) during the course of journey in the train.
- (2) The change referred to in sub-rule (1) shall be allowed only once.
- (3) If the ticket on which change of reservation has been allowed under sub-rule (1) is cancelled, cancellation charges shall be payable as follows, namely:—
- (a) cancellation charge as would have been due if the original reservation had been cancelled at the time when the change of reservation was allowed; and
 - (b) cancellation charge due in respect of the altered reservation as if the altered reservation is a fresh reservation.
- 13. Non-commencement or missing of journey due to late running of trains.**—(1) No cancellation charge or clerkage shall be levied and full fare shall be refunded to all passengers holding reserved, RAC and wait-listed tickets, if the journey is not undertaken due to late running of the train by more than three hours of the scheduled departure of the train from the station commencing journey subject to condition that-
- (i) the ticket is surrendered upto the actual departure of the train;
 - (ii) in case of e-ticket, the TDR is filed online before the actual departure of the train for availing full refund.
- (2) In case the ticket is cancelled or surrendered or if the request for refund of fare is filed online after the actual departure of train, no refund of fare shall be admissible.
- (3) Where a passenger holding a ticket, with or without reservation, misses connection for continued journey by another train at any junction station owing to late running of the train by which he had been travelling, the fare for travelled portion shall be retained and the balance amount of ticket shall be refunded as the fare for untravelled portion, without levying any cancellation charge or clerkage, if he surrenders the ticket for such refund within three hours of the actual arrival of the train by which he had travelled and the refund shall be granted at the junction station.

14. **Cancellation of tickets where railway administration is unable to provide accommodation.**—Where a railway administration is unable to provide accommodation for any reason whatsoever to passengers holding reserved tickets, no cancellation charge shall be levied and full refund of fare shall be granted to them if such tickets are surrendered for refund within three hours from the actual departure of the train:

Provided that when the train is cancelled due to unforeseen circumstances such as accident, breach or flood, the ticket is surrendered within three days excluding the scheduled day of departure of the train.
15. **Refund on partially used tickets.**—(1) Except as otherwise provided in these rules, no refund shall be granted at a station on a ticket on which part of the journey has been undertaken.
 - (2) Where a passenger terminates the journey enroute, a ticket deposit receipt shall be issued to the ticket holder by the station master of the station in lieu of surrender of the ticket and refund shall be admissible in terms of rule 23, and in such cases, fare for the travelled portion shall be retained and the balance amount of the ticket shall be refundable as the fare for the untravelled portion of journey.
16. **Discontinuation of journey due to dislocation of train services.**—(1) When a train journey is dislocated enroute due to unforeseen circumstances, such as accident, breach or flood, full fare for the entire booked journey without any deduction for the travelled portion and without levy of cancellation charge shall be refunded at the station at which the journey is terminated under the following circumstances, namely:—
 - (a) when the railway administration is unable to carry the passenger to destination station within a reasonable time by arranging transshipment or diversion or otherwise; or
 - (b) when the passenger is involved in a railway accident or injured in the accident and does not continue his journey; or
 - (c) in the case of death or injury to a passenger in a railway accident, the kith and kin of the passenger have to terminate the journey.
 - (2) Where the railway administration offers to carry the passenger to his destination station by any diverted route or by arranging transshipment or otherwise, and the passenger is not willing to avail of such alternative arrangement, fare for travelled portion shall be retained and the balance amount of ticket shall be refunded as the fare for untravelled portion, without levying any cancellation charges, at the station at which the journey has been terminated.
 - (3) Where the train journey is dislocated enroute due to bandh, agitation or rail roko, fare for travelled portion shall be retained and the balance amount of ticket shall be refunded as the fare for untravelled portion, without levying any cancellation charges.
 - (4) If the trains, which have separate all-inclusive fare structure on point to point basis, are terminated at a non-scheduled stoppage of the train and the passenger is not willing to avail of the alternative arrangement made by the railway administration to carry the passenger to his destination station, fare for the distance travelled shall be retained based on the per kilometer fare of ticket and balance amount shall be refunded as the fare for untravelled portion of journey.
17. **Refund of certain fare on failure to provide air-conditioning facility in air-conditioned coaches.**—(1) Where the air-conditioning facility could not be provided for a portion of journey, refund on tickets issued for air-conditioned coaches shall be granted for such portion on the following basis, namely:—
 - (a) if the ticket is for air-conditioned first class, the difference between the air-conditioned first class fare and first class fare;
 - (b) if the ticket is for air-conditioned II-tier or air-conditioned III-tier class, the difference between air-conditioned II-tier or air-conditioned III-tier class fare and sleeper class fare (Mail and Express);
 - (c) if the ticket is for air-conditioned chair car, the difference between air-conditioned chair car fare and second class fare (Mail and Express);
 - (d) if the ticket is for executive class, the difference between the notified executive class fare for the concerned section and the first class fare (Mail and Express) for the concerned distance of that section.
 - (2) The refund of difference of fare under sub-rule (1) shall be granted at the destination station on production of the ticket along with a certificate from the ticket checking staff of the train giving particulars of the ticket, number of the coach and stations between which the air-conditioning facility was not provided, and is presented within twenty hours of arrival of the train.
18. **Refund of fare when passengers are made to travel in lower class for want of accommodation.**—If the ticket holder of a higher class is made to travel in a lower class for want of accommodation in the class for which the

ticket was issued, refund of the difference between the fare paid and the fare payable for the class in which it is actually used shall be granted at the destination station or at the originating station, as the case may be:

Provided that refund shall be granted at the destination station on production of a certificate from the ticket checking staff of the train certifying that the holder of the ticket had to travel in a lower class for want of accommodation in the class for which it was issued and the ticket along with the said certificate is presented within two days of the date of issue of the certificate (excluding the day of issue of the certificate).

19. **Lost, misplaced, torn or mutilated tickets.**—(1) No refund of fare in respect of a lost or misplaced ticket shall be granted.
- (2) Refund of fare shall be granted in respect of a torn or mutilated ticket if its genuineness and authenticity are verifiable on the basis of the particulars visible on the face of the ticket.
- (3) If the reservation status of a lost, misplaced, torn or mutilated ticket, at the time of receipt of the application for issuance of a duplicate ticket for the purpose of undertaking journey, is confirmed or RAC and the duplicate ticket is sought before preparation of reservation chart of the concerned train, the station master shall issue a duplicate ticket in lieu of the original ticket on payment of rupees fifty per passenger in case of second and sleeper class and rupees one hundred per passenger for other classes.
- (4) If a duplicate ticket in lieu of a lost or misplaced confirmed ticket is sought after preparation of reservation chart of the concerned train, it shall be issued on payment of charge equivalent to fifty per cent. of the total fare subject to the minimum payment mentioned in sub-rule (3).
- (5) No duplicate ticket shall be issued in respect of RAC tickets after preparation of reservation chart of the concerned train.
- (6) If duplicate ticket in lieu of a torn or mutilated confirmed or RAC ticket is sought after preparation of reservation chart of the concerned train, it shall be issued on payment of a charge equivalent to twenty five per cent. of the total fare subject to the minimum payment mentioned in sub-rule (3).
- (7) A duplicate ticket in respect of a party coach ticket or a special train ticket, shall be issued upto the time of departure of the train, on payment of a charge equivalent to ten per cent. of the total fare.
- (8) No refund of fare shall be granted in respect of charges paid under sub-rules (3), (4), (5) and (6) except in cases where the lost or misplaced ticket is traced after the issuance of a duplicate ticket and presented along with the duplicate ticket before departure of the train and in that case charges collected towards the issuance of duplicate ticket shall be refunded after deducting five per cent. thereof subject to a minimum deduction of rupees twenty but in case the journey is not undertaken, the cancellation charges on the original ticket shall be determined as provided in these rules.
- (9) If the passenger, who has paid excess charges in the train on account of his confirmed or RAC ticket being lost, misplaced, torn or mutilated, makes an application to a railway administration for grant of refund of the charges paid in the train, the Chief Commercial Manager (Refunds) of that railway administration may, after making such enquiry as he deems necessary, grant refund of total charges realised in the train, after retaining the cancellation charges at fifty per cent. of a single journey ticket fare per passenger subject to the condition that no one has taken refund earlier on the original ticket.
20. **Wait-listed passengers on concession and privilege ticket order tickets.**—When any person has purchased a ticket on any concessional order or privilege ticket order, and is wait-listed for reservation in any train, he shall be entitled to avail of the same ticket for reservation in any other train on the same date or any other date, without losing the benefit of concessional fare.
21. **Unused portion of return tickets.**—(1) No refund shall be granted on the unused portion of the concessional return tickets.
- (2) When a return ticket is issued without any concession, it shall be treated like two single journey tickets and the refund shall be granted accordingly.
22. **Refund of fare on unused tickets and freight realised on luggage tickets in respect of luggage booked on same ticket in case journey is not undertaken.**—(1) Refund of freight on luggage shall be granted by the station master in accordance with the following Table, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
(a)	If luggage is with-drawn at starting station	Luggage ticket shall be cancelled and freight already collected shall be refunded after recovery of wharfage charges, if any, and deduction of cancellation charge of rupees five per luggage ticket and journey ticket shall be endorsed to this effect.
(b)	If luggage is already dispatched from the starting station	Freight charges on weight admissible as free allowance shall be collected and remarks to this effect endorsed on journey ticket.

(2) On production of journey ticket on which luggage has been booked, the fare shall be refunded only if bearing the endorsement referred to in sub-rule (1) on the unused ticket after deducting the cancellation charges or clerkage as provided in these rules.

23. Application for refund of Passenger Reservation System (PRS) counter tickets in other circumstances.—(1) For refund of fare under circumstances other than those specified in these rules or under circumstances like bandh, agitation, flood, etc., the passengers could not reach the reservation counter or station or current counter for cancellation of tickets, in those cases, a TDR shall be issued to the passenger and the passenger may apply for refund of fare within ten days from the date of commencement of journey to the Chief Commercial Manager (Refunds) of the railway administration under whose jurisdiction the TDR issuing station comes, enclosing the original TDR.

(2) In the circumstances specified in sub-rule (1), the TDR shall be issued only upto three days after the scheduled departure of the train.

[F. No. TC-II/2003/2015/Refund Policy]

B. PRASHANTH KUMAR, Executive Director (Passenger Marketing)

Revised refund Rules w.e.f 12.11.2015

- Certain provisions of refund rule have been amended and comprehensive refund Rules have been notified after 1998. The new Refund Rule shall be effective w.e.f. 12.11.2015.
- The objective of the new changes in the refund rule are as under:-
 - (i). To plug the scope of misuse.
 - (ii). Facilitate passengers with mobile ticketing/proposed paperless ticketing etc.
 - (iii) Discourage touts/agents on black marketing of tickets.
 - (iv) Automatic refund of fare on e-tickets in case of cancellation of trains (Already implemented w.e.f. 01.07.2015). No TDR filing is required in this case.
- The major changes in the existing rules are as under:-

Rule no.	Pre revised (before 12.11.2015)	Revised (w.e.f 12.11.2015)
1.	Levy of clerkage per passenger for cancellation of unreserved, RAC and waitlisted tickets:- (i). Unreserved (second class): Rs. 15. (ii) Second class (reserved) and other classes: Rs. 30	Levy of clerkage per passenger for cancellation of unreserved, RAC and waitlisted tickets:- (i). Unreserved (second class): Rs. 30. (ii) Second class (reserved) and other classes: Rs. 60
2.	Cancellation charge per passenger on confirmed (reserved) tickets:- (i). 48 hours before the scheduled departure of the train minimum cancellation charge 1 st AC/executive class: Rs.120 2AC/1 st class : Rs. 100 3AC/ACC/3A economy: Rs. 90 Second sleeper class: Rs. 60 Second class : Rs. 30 (ii). Between 48 hours and 6 hours before the scheduled departure of the train @ 25% subject to minimum charge as per (i) above.	Cancellation charge per passenger on confirmed (reserved) tickets:- (i). 48 hours before the scheduled departure of the train minimum cancellation charge 1 st AC/executive class: Rs. 240 2AC/1 st class : Rs. 200 3AC/ACC/3A economy: Rs. 180 Second sleeper class: Rs. 120 Second class : Rs. 60 (ii). Between 48 hours and 12 hours before the scheduled departure of the train @ 25% subject to minimum charge as per (i) above.

	(iii) From 6 hours before the scheduled departure of the train and upto 2 hours after the actual departure of the train @ 50% subject to minimum charge as per (i) above. (iv) No refund after the above prescribed time limit.	(iii) between 12 hours and 4 hours before the scheduled departure of the train @ 50% subject to minimum charge as per (i) above. (iv) No refund after the above prescribed time limit.
3.	Partially confirmed: Upto two hours after the actual departure of the train.	Partially confirmed: Upto half an hour before the scheduled departure of the train.
4.	Refund on unused RAC/WL tickets: Upto 3 hours of the actual departure of the train subject to deduction in clerkage charge. No refund after the above prescribed time limit.	Refund on unused RAC/WL tickets: Upto half an hour before the scheduled departure of the train subject to deduction of clerkage charge. No refund after the above prescribed time limit.
5.	In case of cancellation of trains for e-tickets: Before 01.07.2015, for refund, TDR had to be filed. No change for counter PRS ticket.	In case of cancellation of trains for e-tickets: W.e.f. 01.07.2015, automatic refund is granted. Filing of TDR is not required. No change for counter PRS ticket.



(भारत सरकार) (GOVERNMENT OF INDIA)
(रेल मंत्रालय) (MINISTRY OF RAILWAYS)
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

By Regd. Post

Commercial Circular No. 13 of 2023

No.TC II/2003/2021/Refund on upgraded passengers (E-3370412) New Delhi, dated 14.08.2023

The Principal Chief Commercial Managers
All Zonal Railways

MD/CRIS, Chanakyapuri/New Delhi

MD/IRCTC, New Delhi

Sub: Rationalisation of time limit for collection of refund of fare on tickets cancelled through 139 or through IRCTC

- Ref: 1. Commercial Circular no. 01 of 2023 dated 03.01.2023
2. Commercial Circular no. 36 of 2016 dated 30.06.2016
3. Commercial Circular no. 27 of 2016 dated 20.05.2016
4. Commercial Circular no. 20A of 2016 dated 04.05.2016
5. Commercial Circular no. 20 of 2016 dated 19.04.2016

In continuation of above instructions, Ministry of Railways have further decided to rationalize the time limit of collection of refund amount across reservation counters for PRS counter tickets cancelled through 139 or through IRCTC (including return journey tickets) upto 4 hours for the confirmed tickets and upto thirty minutes for RAC/WL tickets before the scheduled departure of the train.

Refund of fare as permissible can be collected on submission of original PRS counter tickets from any PRS counters of Indian Railways upto 4 hours before the scheduled departure of the train, as prescribed in the refund rules and changes made from time to time, in case of confirmed tickets and upto thirty minutes before the scheduled departure of the train, as prescribed in the refund rules and changes made from time to time, in case of RAC/WL tickets. Collection of refund amount beyond this time limit shall continue at journey commencing station or nearby satellite PRS locations identified by Zonal Railways as per the existing instructions. All other terms and conditions shall remain same.

2. The above shall be implemented w.e.f. 01.09.2023 on an experimental basis for six months. The impact of the above changes may please be furnished to this office by 01.02.2024.

3. This issues with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

4. CRIS and IRCTC may take necessary changes in this regard.

Ensure action accordingly and confirm.

(Vipul Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board.

No.TC II/2003/2021/Refund on upgraded passengers (E-3370412) New Delhi, dated 14.08.2023
Copy to:-

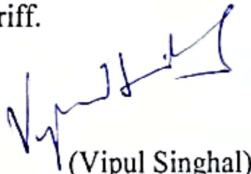
1. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No.224, Rail Bhavan, New Delhi.
2. PFAs, All Zonal Railways
3. Director General of Audit, All Zonal Railways.

for Member Finance, Railway Board.

No.TC II/2003/2021/Refund on upgraded passengers (E-3370412) New Delhi, dated 14.08.2023

Copy forwarded for information & necessary action to:

1. CRB & CEO, M(O&BD), Member Finance Railway Board.
2. PS/MR, PS/MoSR (D), PS/MOSR(J) for information to MR, MoSR (D) and MOSR(J).
3. ADV/MR, OSD/MR, OSD/Co-ordination/MR & Addl. PS/MR for information
4. PED(Vig), PED(A), EDTC(R), EDIP of Railway Board.
5. MD, Centre for Railway Information System (CRIS), Chanakyapuri, near National Rail Museum, New Delhi for necessary Software changes.
6. MD, IRCTC, 11th Floor, Statesman House, B-148, Barakhambha Road, New Delhi- 110 001.
7. Managing Director, Konkan Railway Corporation Ltd., Belapur Bhavan, Plot No. 6, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai- 400 014.
8. Northern Railway, New Delhi for issue of necessary correction slips to Coaching Tariff.


(Vipul Singhal)
Director Passenger Marketing
Railway Board.